3

शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नही

5

एक प्रभावशाली और विवादास्पद शख्सियत

6

बिहार में पहली बार मोबाइल से मतदान

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 10 प्रति सोमवार, 14 जुलाई 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मध्यप्रदेश भाजपा को मिला नया प्रदेशाध्यक्ष, हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति से संगठन में लौटी ऊर्जा

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश भाजपा में लंबे समय से प्रतिक्षारत प्रदेश अध्यक्ष पद पर आखिरकार निर्णय हो ही गया। पार्टी नेतृत्व ने हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश भाजपा की कमान सौंप दी है। खंडेलवाल की नियुक्ति को लेकर बीते कई दिनों से चर्चाओं का दौर जारी था। उनका नाम संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर पर मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा था। खंडेलवाल वर्तमान में आदिवासी क्षेत्र से विधायक हैं और पार्टी के प्रति उनके समर्पण, लंबे राजनीतिक अनुभव, क्षेत्रीय समीकरण तथा संगठन क्षमता को देखते हुए यह नियुक्ति तय मानी जा रही थी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। खंडेलवाल ने भी कहा कि वे पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। कार्यकर्ताओं का सम्मान और संगठन का विस्तार ही मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी।

प्रदेशाध्यक्ष खंडेलवाल के लिए संगठन में गुटबाजी, असंतोष और अंदरूनी संघर्ष सबसे बड़ी चुनौती

वर्ष 2028 विधानसभा चुनाव की रणनीति होगी चुनौतीपूर्ण

प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी हेमंत खंडेलवाल के कंधों पर 2028 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर होगी। भाजपा की रणनीति हमेशा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के सामंजस्य पर टिकी रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व को मजबूत करते हुए उन्हें कार्यकर्ताओं की नाराजगी, संगठन के भीतर के असंतोष, क्षेत्रीय असमानता, पद और टिकट वितरण जैसे कई विषयों पर संतुलन साधना होगा।

(शेष पेज 2 पर)

देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने की दिशा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का प्रयास और नेतृत्व

साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने पायी अभूतपूर्व सफलता

-विजया पाठक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2026 तक भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर विशेष जोर दिया है। हालिया समीक्षा में यह सामने आया है कि छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। केंद्र सरकार का यह अभियान समान रूप से "रूष्ट रणनीति" और "विकास के जरिए सुरक्षा" की नीतियों पर आधारित है।

लक्ष्य और रणनीति

अमित शाह ने मार्च के अंत तक भारत को "नक्सल-मुक्त राष्ट्र" बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी 31 मार्च 2026 तक तीन स्तरीय समन्वय ढांचाः केंद्र और

राज्य मंत्री, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय बना है। शाह ने बार-बार "रूष्ट रणनीति" और "मील-क्लियरिंग" अभियानों पर जोर दिया है।

प्रभावित जिलों में भारी गिरावट

2014 में लगभग 126 जिले प्रभावित थे, 2024 में यह घटकर 38 पर आ गए और अप्रैल 2025 तक केवल 18 बचे। सिर्फ 12 "गंभीर नक्सल प्रभावित जिले" घटकर अब 6 सबसे प्रभावित जिलों पर सीमित हैं। बीजापुर, कंकड़, नारायणपुर, सुकमा (छत्तीसगढ़), पश्चिम सिंहभूम (झारखंड), और गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) झारखंड, बिहार, ओडिशा, आंध्र-तेलंगाना और मध्यप्रदेश को "मूलतः मुक्त" घोषित किया गया है। (शेष पेज 2 पर)

मध्यप्रदेश भाजपा को मिला नया प्रदेशाध्यक्ष, हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति से संगठन में लौटी ऊर्जा

(पेज 1 का शेष)

विशेषज्ञ मानते हैं कि 2028 का चुनाव कांग्रेस के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई जैसा होगा, ऐसे में भाजपा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। खंडेलवाल को बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत करना होगा। 'बूथ जीता तो चुनाव जीता' का मंत्र उनका भी मार्गदर्शन करेगा, लेकिन यह काम कहने में जितना आसान है, उतना करने में नहीं।

नगरीय निकाय और नगर पालिका परिषद चुनाव में दिखानी होगी सूझबूझ

प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर खंडेलवाल के सामने निकटतम चुनौती नगरीय निकाय और नगर पालिका परिषद चुनाव होंगे। यह चुनाव सीधे-सीधे कार्यकर्ताओं की नाराजगी और जनता के मूड को दर्शाते हैं। टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं, संगठन की अनुशासन नीति और जनता की पसंद का संतुलन बिठाना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होता। पूर्व के अनुभव बताते हैं कि नगरीय निकाय चुनावों में हुए निर्णय ही विधानसभा चुनावों के रुझान तय करते हैं। हाल ही में कई जिलों में भाजपा नेताओं ने खुलेआम पार्टी प्रत्याशी के विरोध में काम किया था। खंडेलवाल को ऐसे असंतुष्ट नेताओं को भी साधना होगा।

जिला अध्यक्ष से लेकर संगठन स्तर पर सही व्यक्ति का चयन जरूरी

राजनीतिक पंडितों का मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर खंडेलवाल के सामने सबसे बड़ी परीक्षा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और संगठन में सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी देने की होगी। पूर्व

के अनुभव बताते हैं कि जिला अध्यक्ष संगठन का आधार स्तंभ होता है। यदि यहां गलत व्यक्ति बैठा तो संगठनात्मक काम ठप हो जाते हैं। यही नहीं, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी चयन से पहले जिलाध्यक्षों की राय अहम होती है। खंडेलवाल को ऐसे लोगों को चुनना होगा, जो संगठन के प्रति समर्पित हों, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर पार्टी हित में काम करें और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल सकें। संगठन में गुटबाजी, असंतोष और अंदरूनी संघर्ष भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती रही है।

राजनीतिक अनुभव देगा प्रदेश भाजपा को नई उड़ान

हेमंत खंडेलवाल का राजनीतिक जीवन बेहद समृद्ध रहा है। वे पूर्व सांसद स्व. विजय कुमार खंडेलवाल के पुत्र हैं। परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ उन्होंने स्वयं भी जमीनी स्तर पर संगठन में लंबे समय तक कार्य किया है। छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा चुनाव तक उनका सफर संघर्ष से भरा रहा है। संगठन की कार्य पद्धति, कार्यकर्ताओं के मनोविज्ञान और वरिष्ठ नेताओं की कार्यशैली पर उनकी मजबूत पकड़ है। यही अनुभव प्रदेश भाजपा के लिए 2028 के मिशन में निर्णायक साबित हो सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि उनकी नियुक्ति से संगठनात्मक संतुलन भी बेहतर होगा। पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा के लंबे कार्यकाल के बाद प्रदेश भाजपा को ऐसे चेहरे की तलाश थी, जो कार्यकर्ताओं के बीच सहज स्वीकार्य हो और प्रदेश तथा दिल्ली, दोनों जगह के नेताओं के साथ सामंजस्य बैठा सके।

आदिवासी क्षेत्र से विधायक होने का मिला लाभ

हेमंत खंडेलवाल वर्तमान में मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से विधायक हैं। भाजपा नेतृत्व ने आदिवासी समुदाय में पैठ मजबूत करने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। जानकारों की मानें तो मध्यप्रदेश में लगभग 21 प्रतिशत आदिवासी आबादी है, जो विधानसभा की 47 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। हाल के चुनावों में कांग्रेस ने इन्हीं क्षेत्रों में भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में खंडेलवाल की नियुक्ति से पार्टी को आगामी चुनावों में नया समीकरण साधने में मदद मिलेगी।

राजनीति में कहा जाता है कि नेतृत्व वही सफल होता है, जो हर परिस्थिति में अपने धैर्य और समझदारी से फैसले ले। खंडेलवाल के पास समय भी है और अवसर भी। पार्टी ने उन्हें ऐसे समय में प्रदेशाध्यक्ष बनाया है, जब भाजपा सत्ता में है और केंद्र तथा प्रदेश, दोनों जगह मजबूत नेतृत्व मौजूद है। यदि खंडेलवाल टिकट वितरण, संगठन में समन्वय, कार्यकर्ता सम्मान और चुनावी रणनीति में सफलता हासिल कर पाते हैं तो वे प्रदेश भाजपा में लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकते हैं। इससे न केवल उनका कद बढ़ेगा, बल्कि संगठन में उनकी स्वीकार्यता भी मजबूत होगी। प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता भी मानते हैं कि उनकी नियुक्ति कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि हेमंत खंडेलवाल अपने कार्यकाल की शुरुआत किन प्राथमिकताओं से करते हैं, कौन से निर्णय लेते हैं और किस तरह संगठन में सामंजस्य बैठाकर मिशन 2028 को आगे बढ़ाते हैं।

साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने पायी अभूतपूर्व सफलता

(पेज 1 का शेष)

सुरक्षा अभियानों में सफलता

ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट (कागर): अप्रैल–मई 2025 में चक्रवाती हमलों में लगभग 31 नक्सलियों की मौत और 4 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। छत्तीसगढ़ में बीजापुर केस (9 फरवरी) 31 नक्सली मारे गए। अबुझमाड़ झड़प (21 मई) नंबाला केशव राव (बासवराजु) सहित 28 नक्सलियों की मौत, यह व्यवस्था के लिए बड़ी सफलता मानी जाती है। सुरक्षात्मक तैनाती 277 नए सीआरपीएफ कैंप, 320 लैंडिंग हेलिपैड, 555 मजबूत पुलिस स्टेशनों सहित रणनीतिक संरचनाओं का विस्तार। 2024 में लगभग 928 नक्सली आत्मसमर्पित; शुरुआती 2025 (4 महीनों) में 718 ने हथियार छोड़ दिये। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2023 के बाद से 2,619 नक्सली या तो मारे गए या आत्म समर्पण कर चुके हैं।

हिंसा और हताहत में कमी

घटनाओं में 53% कमी, सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की मौत में 70% से अधिक गिरावट (2014–2024 तुलना में)।

हाइब्रिड डेवलपमेंट मॉडल: शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, सड़कें, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डाकघर और ATMs की सुविधा। सभी नक्सल प्रभावित जिलों में दी गई मदद। अभियान में कभी-कभी मानवाधिकार उल्लंघन और राज्यों द्वारा स्वेच्छाचार दिखाते हुए आरोप सामने आए हैं, जिनसे जन विश्वास प्रभावित हो सकता है।

आदिवासी क्षेत्रों में असंतुलनः कुछ क्षेत्रों में विकास पहलों का लाभ अभी भी पूरी तरह नहीं मिला। 'बुनियादी असमानता' बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च 2026 की समय-सीमा "राजनीतिक" हो सकती है; मसलन बीजापुर, सुकमा, गढ़चिरौली आदि में अभी भी गतिविधियाँ जारी हैं, हालाँकि काफी कमजोर स्थिति में। आदिवासी समर्थन, राजनीतिक इच्छाशक्ति, मानवाधिकार पक्षकारों से तालमेल जितना जरूरी उतना ही संवेदनशील दृष्टिकोण और पुनर्वास नीति की जरूरत है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त करना एक दूरदर्शी, पर व्यापक रणनीति पर आधारित पहल है जिसमें समग्र सुरक्षा, विकास, आर्थिक सुधार और सामाजिक पुनर्मिलन को एक साथ अपनाया गया है। अब तक की उपलब्धियाँ- जैसे प्रभावित जिलों की संख्या में तीव्र गिरावट, बड़े ऑपरेशनों में सफलता और आत्म समर्पण की बढ़ रही प्रवृत्ति- उम्मीद जगाती हैं कि यह मिशन संभवतः पूरा होगा।

नागरिकता का प्रश्न और तानाशाही

पीयूष बबेले
(चिंतक एवं वरिष्ठ पत्रकार)

जबसे निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूचियों के कथित गहन पुनरीक्षण का काम शुरू किया है, तब से नागरिकता एक नए प्रश्न के रूप में हमारे सामने खड़ी हो गई है। असल में, आयोग ने मतदाता सूची बनाने से ज्यादा जोर नागरिकता के प्रश्न पर दे दिया है। आयोग के विज्ञापनों की भाषा कहती है कि हर 'योग्य' नागरिक को वोट का अधिकार है। सुनने में यह बात बिलकुल सीधी, सरल और न्यायोचित लगती है। लेकिन अंग्रेजी की कहावत है कि डेविल लाइज इन डिटेल्स, वही यहां दिखाई देता है। असल में जिसने आठवीं कक्षा तक थोड़ा भी नागरिक शास्त्र पढ़ा होगा, उसे ध्यान होगा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक आदि सभी पदों की योग्यता की शर्तों में यह शर्त भी शामिल होती है कि वह भारत का नागरिक हो तथा पागल अथवा दिवालिया न हो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिये तो एक खाते-पीते भारतीय नागरिक के पास भी जो सहज रूप से सरकारी प्रमाणपत्र या अभिलेख होते हैं, उसमें नागरिकता की बात कहीं नहीं आती। जन्म-प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, दसवीं की मार्कशीट, बिजली का बिल, संपत्ति कर की रसीद, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या पेन कार्ड, यही सरकारी कागज सामान्य भारतीय के पास होते हैं। इनमें से किसी पर यह नहीं लिखा रहता कि धारक भारत का नागरिक है। अर्थात 26 जनवरी 1950 में भारत के गणराज्य बनने के बाद से ऐसा कोई आम चलन नहीं है, जिसमें नागरिकता का प्रमाण पत्र बांटा जाए।

नागरिकता से सीधे तौर पर जुड़ा एक ही सरकारी कागज सामान्य तौर पर दिखाई देता है और वह है- पासपोर्ट। मजे की बात यह है कि पासपोर्ट गृह मंत्रालय या राज्य सरकार जारी नहीं करती, बल्कि विदेश मंत्रालय जारी करता है। इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य यह होता है कि अगर कोई नागरिक विदेश जा रहा है तो वहां यह प्रमाणित कर सके कि वह भारत का नागरिक है। यानी नागरिकता देश में नहीं विदेश में प्रमाणित करने की चीज है। इस तरह भारतीय गणराज्य शुरू से यही मानकर चला कि भारत में रहने वाले सभी भारतीय हैं और नागरिकता प्रमाणित करने की जरूरत तभी पड़ेगी जब कोई विदेश जाए। इसीलिए नागरिकता प्रश्न पर 29 अप्रैल 1947 को संविधान सभा में सरदार पटेल ने कहा था कि जिन सिद्धांतों से हमने आजादी पाई है, हम उन सिद्धांतों को भारत में लागू करेंगे और ''नागरिकता के प्रश्न पर छोटा दिल नहीं दिखाएंगे।'' जब हम दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की नागरिकता का समर्थन कर रहे हैं तो हमें यहां भी बड़ा दिल दिखाना होगा।

भारत में सभी पार्टियों की सरकारें जिनमें कांग्रेस, जनता पार्टी, तीसरा मोर्चा, भाजपा और भाजपा की मिलीजुली सरकारें भी शामिल हैं, इसी नीति को मानती रहीं। वर्तमान सरकार से पहले किसी को यह युक्ति नहीं सूझी कि भारत की पूरी आबादी को यह साबित करना होगा कि वह भारतीय है। अगर देश में कोई घुसपैठिये घुस आए हैं तो उनकी जांच करने के लिये सरकार के पास अलग से एजेंसियां हैं। चंद घुसपैठियों के शक में भारत के समस्त नागरिकों की जामातलाशी लेना तो तर्क संगत नहीं है। वैसे ही जैसे हर शहर में कुछ न कुछ अपराधी तो होते हैं, लेकिन उसके लिये पूरे शहर के हर घर की तलाशी तो नहीं ली जाती। वैसे भी भारतीय न्याय प्रणाली में अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह आरोपी को अपराधी सिद्ध करे, आरोपी के ऊपर खुद को निर्दोष साबित करने का भार नहीं होता। जिस लोकतंत्र में आरोपियों तक को इतने अधिकार हैं, वहां समस्त संप्रभु नागरिकों पर शक करना तुगलकी फरमान से कम नहीं है। लेकिन ऐसा किया जा रहा है।

इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार की मंशा पहले की सरकारों से अलग है। इसका पहला संकेत सीएए और एनआरसी के समय मिला था। जिसमें कहा गया था कि विदेश से आए बाकी लोगों को तो बिना कागज दिखाए भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को कागज दिखाने होंगे। इसी के ठीक बाद आधार कार्ड पर यह लिखने की परंपरा शुरू हुई- 'आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है।' जिस तरह ऊपर बताए गए बहुप्रचलित प्रमाणपत्र नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं हैं, वैसे ही आधार भी नहीं है। लेकिन आधार पर यह जानबूझकर लिखा गया, और बहुत संभव है कि अन्य दस्तावेजों पर भी लिखा जाने लगे, क्योंकि सरकार की निगाह नागरिकता पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के बहुत से नागरिकों से उनकी नागरिकता और उसके बहाने नागरिक अधिकार और वोटिंग राइट छीनने की कोई साजिश चल रही हो। यह संदेह इसलिये होता है कि अपने अतिवाद में आयोग इतना आगे चला गया है कि खुद अपने द्वारा जारी वोटर आई कार्ड को भी मानने को तैयार नहीं है।

चुनियादी बात यह है कि जिन नागरिकों ने अपना वोट डालकर अपने संसदीय प्रतिनिधि चुने और उन चुने हुए प्रतिनिधियों ने सरकार बनाई और सरकार ने निर्वाचन आयोग का गठन किया, वह आयोग पूछ रहा है कि वह वोटर सही थे या नहीं। अगर 2003 की मतदाता सूची के बाद के सभी वोटर संदिग्ध हैं तो उनके प्रतिनिधि यानी सांसद भी संदिग्ध हैं। और फिर इन सांसदों से बनी सरकार भी संदिग्ध है और सरकार से बना आयोग भी संदिग्ध है। यही नहीं, जिन मतदाता सूचियों से पिछले चार-पांच आम चुनाव हो चुके हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर खारिज करना या संदिग्ध कहना पूरे भारतीय लोकतंत्र को कठघरे में खड़ा कर देगा। कोई लोकतंत्रप्रिय सरकार लोकतंत्र को कठघरे में खड़ा नहीं कर सकती, ऐसे काम तो वही लोग करते हैं जिनके मन में तानाशाही की तरंगें उठती रहती हैं।

दुनिया के इतिहास में इस तरह के कई उदाहरण हैं, जब किसी वर्ग विशेष या पार्टी विशेष ने उन वोटर समूहों की नागरिकता या नागरिक अधिकार या मताधिकार छीनने की कोशिश की है, जो उन्हें नहीं पुसाते। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पाठकों को याद होगा कि अमेरिका में एक जमाने में अफ्रीका से आए काले लोग गुलाम हुआ करते थे। उनके पास कोई नागरिक अधिकार नहीं थे और न वोटिंग का अधिकार था। समय इसी तरह चल रहा था कि अमेरिका के गोरों ने ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होने का फैसला किया और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। जब युद्ध हुआ और गोरों के लिये अकेले युद्ध लड़ना कठिन हुआ तो काले गुलामों को भी युद्ध में शामिल किया। बाद में अमेरिका आजाद हो गया और गुलामों के युद्ध में शामिल होने से उन्हें भी नागरिक मानने पर सहमति हो गई। जब काले लोगों को वोटिंग राइट मिल गया तो कई जगह खासकर अमेरिका के दक्षिणी प्रांतों में सरकारों के भविष्य का फैसला काले वोटरों के वोट पर निर्भर करने लगा। गोरों ने सरकार बनाने में कालों की भूमिका सीमित करने के लिये पहले तो गैरी मेंडरिंग की। गैरी मेंडरिंग यानी खेमाबंदी से भरा परिसीमन। यानी विधायिका की अधिकांश सीटों का समीकरण ऐसे बनाया जाए कि काले वोटर उसे बहुत ज्यादा प्रभावित न कर सकें।

बहरहाल, जब गैरी मेंडरिंग के बावजूद काले लोग पूरी तरह सत्ता को प्रभावित करने से बाहर नहीं हुए तो कालों को अधिकारों से वंचित करने के लिये सिविल वार शुरू हो गया। और सिविल वार समाप्त होने के साथ ही कालों के वोटिंग राइट फिर से छीन लिये गए। बाद में लंबे आंदोलन और संघर्ष के बाद ये अधिकार बहाल हुए। दूसरा उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। पहले तो गोरे भारत से भारतीयों को मजदूरी के लिये दक्षिण अफ्रीका में बसाते रहे, लेकिन जब वहां बसे भारतीयों ने वहां संपत्ति अर्जित करनी शुरू कर दी और नागरिक जैसी हैसियत मांगी तो वहां की सरकार ने ऐसे कानून बनाए कि भारतीयों को वहां से जाना पड़े। कानून की ज्यादिती जब यहां तक पहुंच गई कि हर भारतीय को सरकार की तरफ से जारी प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना होगा, यही नहीं पुलिस चाहे तो किसी के घर में घुसकर प्रमाण पत्र चैक कर सकती है और यहां तक कि अगर किसी के साथ आपराधिक घटना होती है और वह पुलिस में शिकायत करने थाने जाता है तो वहां उसकी शिकायत बाद में सुनी जाएगी पहले उसे वह सरकारी रुक्का दिखाना होगा।

इसी परवाने के खिलाफ महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। इन परवानों की होली जलाई थी। गांधी जी ने कहा था कि हम सत्याग्रह करते हुए मर जाएंगे लेकिन दक्षिण अफ्रीका से भारतीय कौम को जड़मूल से समाप्त करने के सरकार के इस इरादे को पूरा नहीं होने देंगे। नागरिकता के इसी अधिकार की लड़ाई ने मोहनदास को महात्मा बनाया था।

इस तरह, अमेरिका में सिविल वार के जरिये तो दक्षिण अफ्रीका में अन्यायपूर्ण कानून बनाकर अल्पसंख्यकों को नागरिक अधिकारों से वंचित करने की क्रूर चालें इतिहास में दर्ज हैं। इसके साथ ही इस अन्याय के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष भी दर्ज हैं। इसीलिए सरदार पटेल ने नागरिकता पर उदार दृष्टिकोण की बात कही थी। और अब तक सरदार पटेल के रास्ते पर चलते हुए भारत गणराज्य ने नागरिकता के प्रश्न पर वही रुख अपनाया। लेकिन अब लगता है कि सरकारें उस रुख की तरफ जाना चाहती हैं, जो दक्षिण अफ्रीका ने तब भारतीयों के खिलाफ अपनाया था। यानी कि किसी भी तरह के अल्पसंख्यकों को या सत्ता को रास ने आने वाले नागरिक समूहों को नागरिकता से वंचित करना। अगर वाकई वर्तमान सत्ता के उसी तरह के तानाशाही इरादे हैं तो भारत की जनता को भी उसी तरह कमर कसनी पड़ेगी जैसी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कसी थी और 20 साल तक अफ्रीका में भारतीयों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिये संघर्ष किया था। बहुत संभव है कि सरकार ऐसा न चाहती हो, लेकिन उसके लिये सरकार को अपनी नीयत साफ करनी होगी, जो वह करती हुई नहीं दिखाई दे रही।

शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं : मुख्यमंत्री, विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह, रायपुर। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र सेवा का मार्ग है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, और यही किसी भी राष्ट्र की प्रगति की नींव होती है। किसी भी क्षेत्र में सफलता का मूल आधार शिक्षा ही है। यह बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित पीएसवाय उत्कृष्टता सम्मान समारोह में कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है और बीते वर्षों में राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। जहां पहले प्रदेश में केवल एक मेडिकल कॉलेज था, आज वहां 15 से अधिक मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। साथ ही, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान भी राज्य में कार्यरत हैं। गांव-गांव में स्कूल खोले गए हैं और बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे समय में कई गांवों के बच्चों के लिए केवल एक स्कूल होता था। मुझे याद है कि मैंने पांचवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा दूसरे गांव में दी थी, क्योंकि हमारे गांव में परीक्षा केंद्र नहीं था। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विधाओं के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित शिक्षकों, विद्यार्थियों और संस्थाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ में छात्रों के लिए असीम अवसर मौजूद हैं और प्रत्येक बच्चे को इन अवसरों का लाभ उठाकर अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में निरंतर अग्रसर है, और इसी संकल्प को लेकर हम विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में भी तेज गति से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश ने वैश्विक स्तर पर सम्मान प्राप्त किया है और भारत पुनः विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। साय ने कहा कि राज्य सरकार नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु निरंतर प्रयासरत है।

सम्पादकीय

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयासः एक आवश्यक पहल

आज के समय में पर्यावरण संरक्षण न केवल एक विकल्प है, बल्कि एक अनिवार्यता बन गया है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और उपभोक्तावाद की बढ़ती प्रवृत्ति ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव डाला है। वनों की कटाई, जल और वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता का क्षरण तथा जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे मानव अस्तित्व को सीधी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी और दीर्घकालिक उपायों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। पर्यावरण वह आधार है जिस पर जीवन टिका हुआ है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ मिट्टी, जैव विविधता और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं। यदि पर्यावरण असंतुलित होता है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल मानव जीवन पर पड़ता है, बल्कि समस्त जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की जीवन-प्रणाली पर भी पड़ता है। पर्यावरणीय संकटों से निपटना तभी संभव है जब हम सामूहिक रूप से इसके संरक्षण हेतु सजग हों।

वनों की कटाईः हर वर्ष लाखों हेक्टेयर वन भूमि का सफाया किया जा रहा है, जिससे कार्बन अवशोषण की क्षमता घटती जा रही है। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक, रसायन और वाहनों से निकलने वाले धुएं ने जल, वायु और मिट्टी को बुरी तरह प्रदूषित कर दिया है। प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहनः जल, खनिज, पेट्रोलियम और वन संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग इनके तेजी से समाप्त होने का कारण बन रहा है।

स्वच्छ भारत मिशनः स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पर विशेष बल। राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं सौर ऊर्जा मिशनः अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। वन महोत्सव और हरियाली अभियानः वृक्षारोपण को प्रोत्साहन। प्लास्टिक प्रतिबंध अभियानः सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने की पहल। इसके अलावा, राज्य सरकारें भी अपनी-अपनी स्तर पर जैविक खेती, जल संरक्षण, और जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ लागू कर रही हैं।

सरकार के साथ-साथ समाज और प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वे पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बनें। वृक्षारोपण करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जल संरक्षण पर ध्यान दें- जैसे वर्षा जल संचयन। प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें और पुनः उपयोग करने वाली वस्तुओं को प्राथमिकता दें। ऊर्जा की बचत करें- जैसे LED बल्ब का प्रयोग, सौर ऊर्जा अपनाना। पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दें ताकि भावी पीढ़ियाँ जागरूक बनें। आज के डिजिटल युग में तकनीक भी पर्यावरण संरक्षण का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कचरे को वर्गीकृत कर पुनर्चक्रण किया जा सके। AI आधारित प्रदूषण निगरानी तंत्र, जो वायु की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखता है। जैविक अपशिष्ट से बायोगैस और खाद निर्माण, जिससे कचरा कम और संसाधन अधिक उत्पन्न किए जा सकते हैं। पर्यावरणीय समस्याएँ सीमाओं में बंधी नहीं होतीं, अतः वैश्विक सहयोग आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र की "पेरिस जलवायु संधि" जैसी पहलों में भारत की भागीदारी सराहनीय रही है। विकसित और विकासशील देशों को साथ मिलकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी विशेष वर्ग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी का सामूहिक दायित्व है। "प्रकृति से छेड़छाड़ मान्वता को ले डूबेगी"। यह कहावत आज के संदर्भ में पूरी तरह सार्थक है। यदि हम आज सजग नहीं हुए, तो कल बहुत देर हो जाएगी। अतः हमें अपने जीवनशैली में परिवर्तन लाकर, सतत विकास की ओर अग्रसर होते हुए पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखना होगा।

सियासी गहमागहमी

जीतू पटवारी और कांग्रेस की उलझी हुई गांठें

कांग्रेस के भीतर इन दिनों जितनी गर्मी बाहर के तापमान में नहीं, उससे ज्यादा अंदर के कमरों में है। वजह? एक नाम- जीतू पटवारी। अब ये पटवारी भले ही पद से विधायक हों, लेकिन कांग्रेस में इनका प्रभाव कुछ वैसा है जैसे बिना मीठा डाले चाय में तुलसी डाल देना- औषधीय तो लगता है, पर स्वाद बिगाड़ देता है। कहा जा रहा है कि कई वरिष्ठ नेता "मन ही मन घुट" रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की आदत है, विरोध को मौन की चादर में लपेट देना। कोई खुलकर नहीं बोलेगा, बस अंदर ही अंदर उबालेंगे, जैसे प्रेशर कुकर का ढक्कन पक रहा हो। अब बेचारे पटवारी जी को खुद भी नहीं पता कि असंतोष उनकी काबिलियत को लेकर है, या फिर बढ़ती सक्रियता से पार्टी का हाईकमान खुद असहज हो गया है। कुछ नेताओं का कहना है कि जीतू में "युवा जोश" है, बाकी कहते हैं, "जोश में होश का क्या भरोसा?" पार्टी बैठकें भी अब बिना पटवारी चर्चा के अधूरी हैं। जैसे हर फिल्म में एक विलेन जरूरी होता है, वैसे ही हर मीटिंग में अब एक "जीतू संवाद" जरूरी हो गया है।

खंडेलवाल की टीम में "टिकट टू टीम" की तिकड़म

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नई टीम बन रही है और इसके साथ ही पार्टी में ऐसा दृश्य बन गया है जैसे रेलवे में तत्काल टिकट खुलते ही पूरा देश मोबाइल लेकर "बुक न हो जाए" की आस में बैठा हो। हर नेता चाहता है कि टीम में उसकी सीट पक्की हो- फिर भले ही ट्रेन गलत दिशा में जा रही हो। इस "टीम चयन" नामक तमाशे में नेताओं की हालत टीवी रियलिटी शो के कंटेस्टेंट जैसी हो गई है। एक नेताजी तो बोले, "मैं तो गांधी परिवार के साथ फोटो खिंचवा चुका हूं, सीट मेरी तो बनती है। इस रस्साकशी में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो यह कि हर नेता खुद को "टीम का मजबूत स्तंभ" बताता है, लेकिन जब वही टीम मैदान में उतरती है तो खंभे ढहने में देर नहीं लगती। खंडेलवाल की टीम का गठन हो न हो, भाजपा में खींचतान का मनोरंजन जरूर सुनिश्चित है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

पीएम फसल बीमा योजना का एक ही लक्ष्य है — गरीब किसानों से पैसा लेना, सरकार का पैसा लेना और सब कुछ 3-4 अरबपतियों की झोली में डाल देना।

आपदा के वक्त किसानों के साथ क्या होता है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्य प्रदेश में युवाओं के साथ सिर्फ धोखा किया जा रहा है। भर्ती परीक्षाओं और नौकरी देने के बोल पीटे जा रहे हैं लेकिन नौकरी के नाम पर झुनझुना पकड़ाया जा रहा है। प्रदेश में पीएससी ने पिछले वित्त वर्ष में 77 भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन निकाले गए लेकिन सिर्फ 17 परीक्षाएं आयोजित की गईं, इनमें से 12 पिछले सालों के विज्ञापन वाली थीं।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

आधुनिक भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली और विवादास्पद शख्सियत हैं योगी आदित्यनाथ

समता पाठक/जगत प्रवाह

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972, पंचूर गांव, पौड़ी गढ़वाल (अब उत्तराखंड) में हुआ था। आदित्यनाथ की शुरुआती शिक्षा पौड़ी-गढ़वाल से, फिर उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में BSc और MSc की डिग्री प्राप्त की। लगभग 1993–94 में, उन्होंने महंत अवैद्यनाथ के आश्रम में दीक्षा ली और अपना नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रखा। दीक्षा के बाद उन्होंने कठिन साधना शुरू की और 2014 में महंत अवैद्यनाथ के निधन पर गोरखनाथ मठ के प्रमुख (महंत) बने। 1998 में, मात्र 26 वर्ष की उम्र में, वे गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए और लगातार पांच बार निर्वाचित हुए (1998–2017)। 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की, जो एक हिंदुत्व आधारित संगठन था, यह 2022 में समाप्त हुआ। 19 मार्च 2017 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 25 मार्च 2022 को दूसरी बार पद की शपथ ली। वे यूपी के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन गए- 2023 में 05 वर्ष 347 दिन पूरे किए और अब तक लगातार 07 वर्ष से मुख्यमंत्री पद पर हैं। कानून व्यवस्था में दृढ़ता, आपराधिक मामलों एवं गोरक्षकों की धरपकड़ में "बुलडोजर बाबा" के नाम से विख्यात हुए। स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार उपचुनावी कार्यक्रमों- जैसे जेई (एन्सेफलाइटिस) नियंत्रण, डेंगू, मलेरिया, आदि की मुहिम चलाई। योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरणीय व सामाजिक योजनाएँ: "एक पेड़ मां के नाम", सतत विकास लक्ष्य में अग्रणी, और "जून-जुलाई" तक Budhi Rapti नदी को बहाल करने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी योजनाएँ, एआई-आधारित ट्रैफिक सिस्टम की प्रस्तावना और ग्रेटर गाजियाबाद का निर्माण किया। आदित्यनाथ एक कट्टर हिंदुत्व-आदर्शवादी नेता माने जाते हैं, अक्सर समुदाय विशेष पर तीखे बयान देते रहे हैं; साथ ही, उनके समर्थक उन्हें सख्त कानून के नेता के रूप में देखते हैं। उनके राजनैतिक कार्यों के बीच, कुछ ने मानवाधिकार उल्लंघन पर सवाल उठाए हैं, विशेषकर नागरिकता अधिनियम विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में। योगी आदित्यनाथ ने साधु से मुख्यमंत्री बनने तक की एक अत्यंत अनूठी यात्रा की है। उनकी शिक्षा, धार्मिक जीवन, आरंभिक राजनीति, मजबूत नेतृत्व शैली और बड़े सामाजिक–आर्थिक सुधार उन्हें आधुनिक भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली और विवादास्पद शख्सियत बनाते हैं।

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

स्कूली बस्ता : सिर्फ किताबों का नहीं, सपनों और संभावनाओं का पिटारा

नया स्कूल सत्र शुरू हो चुका है, और एक बार फिर स्कूल के गलियारों में बच्चों की हंसी गूंज रही है। यह केवल एक नया अकादमिक वर्ष नहीं, बल्कि लाखों उम्मीदों और सपनों का आगाज है। शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं। यह हर बच्चे का अधिकार है और हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस अधिकार को हकीकत में बदलें। शिक्षा एक बच्चे के भविष्य की नींव होती है। यह उसे ज्ञान, कौशल और सोचने-समझने की शक्ति देती है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, भारत के स्कूलों में कुल 24.8 करोड़ छात्र नामांकित हैं। यह जानकर खुशी होती है कि शिक्षा तक पहुंच में काफी वृद्धि हुई है। 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए समग्र स्कूल नामांकन दर लगभग 20 वर्षों से 95% से अधिक बनी हुई है और 2024 में यह 98.1% थी।

हालांकि, अभी भी एक लंबी दूरी तय करनी है। UDISE+ 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, 6-17 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 4.74 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। यह संख्या बताती है कि बड़ी संख्या में बच्चे या तो कभी स्कूल में नामांकित नहीं हुए, या बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर 1.9% है, जबकि उच्च प्राथमिक में यह 5.2% और माध्यमिक स्तर पर 14.1% तक पहुँच जाती है। यह आँकड़ा हम सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम है जो यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले। इसका मतलब है कि किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित रखना कानूनी रूप से गलत है। सरकारी स्कूलों में तो शिक्षा, किताबें, ड्रेस और मध्याह्न भोजन मुफ्त मिलता ही है, साथ ही निजी स्कूलों में भी 25% सीटें आरटीई (RTE) के तहत आरक्षित हैं। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, स्कूल की दहलीज तक पहुंचे और अपनी पढ़ाई पूरी करे।

हमें अपने समाज के उन बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अक्सर हम अपने आस-पास काम करने वाले लोगों, जैसे चौकीदार, माली, कामवाली बाई या रसोइया के बच्चों की शिक्षा के बारे में नहीं सोचते। यह हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है कि हम उनके बच्चों को स्कूल पहुंचाने में मदद करें।

आप उनसे बात करें, उन्हें आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मिलने वाले मुफ्त प्रवेश के बारे में जानकारी दें, और यदि संभव न हो तो सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाने में सहायता करें। यदि उन्हें किताबें, कॉपियाँ, स्कूल ड्रेस या स्टेशनरी खरीदने में आर्थिक मदद की जरूरत है, तो इसमें भी उनका सहयोग करें। आपका यह छोटा सा प्रयास देश के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखेगा। हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का साझा लक्ष्य होना चाहिए। जब हर बच्चा स्कूल जाएगा, तभी एक शिक्षित और सशक्त समाज का निर्माण होगा।

बच्चों को स्कूल भेजना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि उन्हें वहां बेहतर माहौल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। आज भी कई स्कूलों में बेहतर व्यवस्थाओं की कमी है। यह चिंताजनक है कि प्रदेश के 21,077 स्कूल महज एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, और शिक्षकों के 87,630 पद खाली हैं। शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर डालता है।

हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे स्कूल सिर्फ इमारतें न हों, बल्कि ज्ञान और नवाचार के केंद्र बनें। शिक्षकों की पर्याप्त संख्या हो, उन्हें उचित प्रशिक्षण मिले और उन्हें ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जाएं जिससे वे बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। स्कूलों में शौचालय, पीने का पानी और सुरक्षित वातावरण जैसी बुनियादी सुविधाओं का होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब स्कूलों की स्थिति बेहतर होगी, तभी बच्चे न केवल स्कूल आने के लिए प्रेरित होंगे, बल्कि वहां रहकर कुछ नया सीख भी पाएंगे।

गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिक्षकों को सम्मान

-प्रमोद बरसटे

जगत प्रवाह. टिकरगी। नगर के CM राइज स्कूल में आयोजित नव भारत उल्लास साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पहुँचा और गुरुजनों का सम्मान कर उन्हें स्वलपाहार करवाया। इस दौरान जिला भाजपा मंत्री श्रीमती निशा सुनील दुबे, मंडल अध्यक्ष अतुल बारंगे, वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद एवं समाजसेवी सुन्बेल दुबे, अक्षय शांडिल्य, सुरेंद्र राजपूत, संकुल प्राचार्य ज्योति दुबे, विकास खंड समन्वयक मुकेश मालवीय, संकुल सह-समन्वयक महेश भाटी, बालकृष्ण सांखला, एवं कार्यक्रम के नोडल प्रभारी रामकृष्ण गौर, मनीष सोनकिया उपस्थित रहे। शिविर में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रमुख रूप से संतोष गौर, शिवनारायण गुर्जर, अर्जुन मौर्य, ममता रिठारिया, उमा वर्मा, नीतू तुरिया, किरण राजपूत, प्रीति शर्मा, मनोज उपाध्याय, सुबोध जोशी, आत्माराम सांखला सहित कई शिक्षकगण शामिल हुए।

बिहार में पहली बार नगर निगम चुनाव में मोबाइल से मतदान कराया

ई- वोटिंग ने रच दिया इतिहास

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

देश में मतदान के प्रति अरुचि प्रत्येक चुनाव में देखने में आती रही है। रोगग्रस्त या अन्य लाचारों को तो छोड़िए, उच्च शिक्षित एवं सक्षम कुलीन वर्ग मतदान के प्रति सबसे ज्यादा उदासीन रहता है। वैसे तो निर्वाचन आयोग मतदान का प्रतिशत और सुविधा के मतदान के लिए अनेक प्रयोग करता रहा है, लेकिन अब बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय के उपचुनाव में पहली बार ई-वोटिंग का प्रयोग करके इतिहास रच दिया है। मोबाइल से मतदान की सुविधा उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई, जो मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट देने से मजबूर थे। तमाम मतदाता गांव और राज्य से बाहर होने के कारण मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन मोबाइल से ई- मतदान की सुविधा के चलते बिहार के इस चुनाव में 80.60 प्रतिशत और उपचुनाव में 58.38 प्रतिशत मतदाताओं ने मोबाइल के जरिए मतदान किया। पहली महिला ई- वोटर विभा कुमारी और पहले पुरुष मतदाता मुन्ना कुमार बने।

राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद ने मोबाइल से ई- मतदान कराए जाने की प्रेरणा यूरोपीय देश एस्टोनिया से ली। चूंकि अब ई- वोटिंग का सफल प्रयोग हो चुका है, इसलिए भविष्य में इसकी मांग बढ़ेगी। जो गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, विकलांग, असाध्य रोगों से ग्रसित और अपने मतदान स्थल से दूर रहने वाले लोग मतदान से वंचित रह जाते थे, उन्हें लोकतंत्र के इस महायज्ञ में भागीदार बनने की आसान सुविधा मिल जाएगी। इस सुविधा से एक बड़ी समस्या का सामाधान बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हो जाएगा। चूंकि मतदान केंद्रों पर विभिन्न दलों का जमावड़ा नहीं होगा, इसलिए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की संभावना बढ़ जाएगी। इससे मतदान की निजता भी प्रभावित नहीं होगी। इससे मतदान के प्रतिशत में आशातीत सुधार तो होगा ही, जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की संभावनाएं न्यूनतम हो जाएंगी। ई-वोटिंग का काम पूर्वी चंपारण जिले की नगर पंचायत पकड़ी दयाल के अलावा पटना, बक्सर, रोहतास, सारण और बांका में सी-डैक और एसईआर के जरिए किया गया था।

अब यह जरूरी लगता है कि जब पैसे के लेनदेन से लेकर अचल संपत्ति के हस्तांतरण के काम ऑनलाइन या डिजिटल प्रणालियों से हो रहे हैं तो फिर ई- मतदान को भी जरूरी बनाया जाए। बिहार के उपचुनाव में मोबाइल एप से ई- वोटिंग की प्रक्रिया प्रमाणित भी हो चुकी है। ई-वोटिंग को इसलिए भी अपनाया जाए, क्योंकि पूर्व से ही हमारे यहां पोस्टल वोटिंग का वैधानिक प्रावधान है। मतदान संपन्न कराने में जुटे कर्मचारी अपना वोट पोस्टल वोटिंग के जरिए ही देते हैं। अब कोई राजनीतिक दल और नेता यह बहाना नहीं बना सकता है कि अभी इंटरनेट या बिजली की सुविधा दुर्गम क्षेत्रों में नहीं है। एक बार बिजली भले ही प्रत्येक ग्राम में न हो, लेकिन सौर ऊर्जा से बिजली और मोबाइल टॉवर गांव-गांव पहुंच गए हैं। इनके जरिए इंटरनेट की सुविधा हासिल कराई जा रही है। सौर जैसी वैकल्पिक ऊर्जा दूर-दराज के ग्रामों में बिजली उपलब्ध करा रही है। फिर भी किसी गांव में बिजली नहीं है तो वहां ईवीएम के जरिए मतदान कराया जाए। ई-वोटिंग को चरणबद्ध रूप में कराए जाने का सिलसिला जल्द से जल्द शुरू होता है तो लोकतंत्र में लोगों की उम्मीद से ज्यादा भागीदारी बढ़ती दिखाई देगी। हालांकि मोबाइल से ई- वोटिंग को लेकर कुछ नेता अभी से संदेह जताने लगे हैं। उनका कहना है कि मोबाइल एप पर पंजीकरण में कठिनाई आएगी। गांव के प्रभावी लोग दबाव बनाकर पक्षपातपूर्ण एवं फर्जी मतदान करा सकते हैं। भारत में फर्जी और दबाव से मतदान की अपवाद स्वरूप घटनाएं आज भी देखने में आ जाती हैं। ईवीएम से मतदान पर आज भी विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ईवीएम की साख पर ठोस प्रमाण कोई दल या इंजीनियर आज तक नहीं दे पाया है। ई-वोटिंग पूरे देश के लिए अपना ली जाती है तो चुनाव खर्च में तो कमी आएगी ही, तकनीक की सार्थकता भी पेश आएगी।

घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए ई- वोटिंग की जरूरत इसलिए है, क्योंकि बड़ी संख्या में देश के मतदाता मजदूरी, पढ़ाई-लिखाई, नौकरी और अन्य काम-धंधों के लिए मूल निवास स्थल छोड़ जाते हैं। इसलिए ये चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते। आयोग का कहना है कि 2019 के आम चुनाव में करीब 30 करोड़ यानी 67.4 प्रतिशत लोग इन्हीं कारणों के चलते अपने मत का उपयोग नहीं कर पाए थे। ऐसा लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में होता है। चुनाव विशेषज्ञों का तो यहां तक मानना है कि करीब 45 करोड़ लोग पलायन के चलते मतदान से वंचित हो जाते हैं। इसलिए लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि इन देशज प्रवासियों के मतदान का कोई व्यावहारिक उपाय निकाला जाना चाहिए। इस नजरिए से प्रवासियों के लिए ई-वोटिंग उपयोगी है।

हालांकि चुनाव सुधार की दृष्टि से चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले अर्थात दूरस्थ मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम (आरवीएस) तैयार किया हुआ है। इस मशीन की मदद से अब मूल मतदान स्थल से दूर रह रहे किसी दूसरे राज्य या शहर में रहने वाले मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। यानी मतदान के लिए उन्हें अपने मूल निवास स्थल पर आने की जरूरत नहीं रह गई है। आयोग इसे लागू करने से पहले आने वाली कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार भी आमंत्रित किए जाएंगे। चुनाव सुधार की दृष्टि से यह पहल अमल में आती है तो ऐतिहासिक होगी। नतीजतन उन 45 करोड़ लोगों को वोट डालने का अवसर मिलेगा, जो अपने घरों से दूर रहते हैं। यह उपाय मत-प्रतिशत बढ़ाने का भी काम करेगा। यानी जनप्रतिनिधियों का चुनाव अधिकतम मतदाताओं के वोट डालने से होगा, जो लोकतंत्र को पारदर्शी बनाने का काम करेगा। इस सिलसिले में आयोग ने दावा किया है कि यह मशीन त्रुटिहीन बनाई गई है, इसलिए मतदान निष्पक्ष होगा। हालांकि मतदान की इस प्रक्रिया को इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाएगा। आयोग फिलहाल इसे प्रायोगिक तौर पर लागू करना चाहता है, जिससे इसके प्रयोग की निष्पक्षता स्पष्ट हो जाए। बाद में इसे पूरे देश में अनिवार्य बना दिया जाएगा। अनेक चुनाव विशेषज्ञ इस प्रणाली को एक क्रांतिकारी पहल मानकर चल रहे हैं।

देश में निःसंदेह एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जो अपना घर और शहर छोड़कर आजीविका के लिए दूसरे शहरों या राज्यों में रह रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में युवा हैं। हालांकि इनका कोई एकीकृत आंकड़ा देश और आयोग के पास नहीं है। फिर भी सब जानते हैं कि बड़ी संख्या में प्रवासी मतदाता हैं। ये लोग नई जगह पहुंचने के बाद नया वोटर पंजीयन भी नहीं कराते हैं। नतीजतन मतदान से वंचित रहते हैं।

इन्हें जहां रह रहे हैं, वहीं मतदान की सुविधा मिल जाए, इस नजरिए से आरवीएम की परिकल्पना की गई है। आईआईटी मद्रास की मदद से 'मल्टी कॉन्स्टीचुएंसी रिमोट ईवीएम' के रूप में ऐसा मतदान उपकरण तैयार किया गया है, जो एक रिमोट मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रवासियों का मतदान कराने में सक्षम होगा। हालांकि आरवीएम के इस्तेमाल को लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने विरोध जता दिया है। कांग्रेस का कहना है कि इससे मतदान के प्रति लोगों का भरोसा कम होगा। प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया है।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए आदर्श स्थिति यही है कि हरेक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इस नाते 2005 में भाजपा के एक सांसद लोकसभा में 'अनिवार्य मतदान' संबंधी विधेयक लाए भी थे। लेकिन बहुमत नहीं मिलने के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका था। कांग्रेस व अन्य दलों ने इस विधेयक के विरोध का कारण बताया था कि दबाव डालकर मतदान कराना संविधान की अवहेलना है। क्योंकि भारतीय संविधान में अब तक मतदान करना मतदाता का स्वैच्छिक अधिकार तो है, लेकिन वह इस कर्तव्य-पालन के लिए बाध्यकारी नहीं है। लिहाजा वह इस राष्ट्रीय दायित्व को गंभीरता से न लेते हुए, उदासीनता बरतता है। हमारे यहां आर्थिक रूप से संपन्न सुशिक्षित भीगी जो तबका है, वह अनिवार्य मतदान को संविधान में दी निजी स्वतंत्रता में बाधा मानते हुए इसका मखौल उड़ाता है।

मतदान की अनिवार्यता अथवा ई- वोटिंग या आरवीएम से सुविधा का मतदान कथित अल्पसंख्यक व जातीय समूहों को 'वोट बैंक' की लाचारगी से भी छुटकारा दिलाएगी। राजनीतिक दलों को भी तुष्टिकरण की राजनीति से निजात मिलेगी। क्योंकि जब प्रवासियों को आरवीएम से मतदान की सुविधा मिल जाएगी तो किसी धर्म, जाति या क्षेत्र विशेष से जुड़े मतदाताओं की अहमियत खत्म हो जाएगी। नतीजतन उनका संख्या बल जीत अथवा हार को प्रभावित नहीं कर पायेगा। लिहाजा सांप्रदायिक व जातीय आधार पर ध्रुवीकरण की जरूरत नगण्य हो जाएगी। जब पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की छाया थी, तब वहां हुए विधानसभा चुनावों में 15 से लेकर 20 प्रतिशत मतदान से ही सरकारें बनती रही हैं। साफ है, यह स्थिति लोकतंत्र के लिए उचित नहीं रही। अतएव अधिकतम मतदान के हालात ई- वोटिंग एवं आरवीएम के इस्तेमाल से निर्मित होते हैं तो भारतीय राजनीति संविधान के उस सिद्धांत का पालन करने को विवश होगी, जो सामाजिक न्याय और समान अवसर की वकालत करता है।

यूरोप में बढ़ता तापमान समाचार नहीं संकट है

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

यूरोप में भीषण गर्मी से 2300 लोगों की मौत हो गई है। यह जानकारी 9 जुलाई को प्रकाशित एक वैज्ञानिक विश्लेषण में सामने आई है। दक्षिण यूरोप में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने का अनुमान है। यह खुलासा इंपीरियल कॉलेज लंदन, वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन सहित यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के पांच प्रमुख शोध संस्थानों के 12 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। यह भीषण गर्मी और लू से होने वाली मौतों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए किया गया पहला रैपिड अध्ययन है। अकेले 2023 की गर्मियों में अनुमानतः 61,000 से अधिक लोगों की जान गर्मी के कारण गई। 2024 में यह आंकड़ा और बढ़ा।

पुर्तगाल में दो तिहाई हिस्से को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऐसी ही स्थिति इटली और ब्रिटेन में भी है। दक्षिणी स्पेन पर हीट वेव की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। स्पेन के नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक यहां के कस्बे एल ग्रेनेडो में तापमान 46 डिग्री रहा। वैसे दक्षिणी स्पेन में लोगों को जून में इस तरह का तापमान का सामना करने की आदत नहीं है। फ्रांस और इटली में भी लोग गर्मी देखकर हैरान हैं। ऐसा लगता है कि गर्मी लंबी होने वाली है क्योंकि तापमान शुरुआत में बढ़ चुका है। 50 वर्ष पहले जून में ऐसी हीट वेव असामान्य बात थी। मगर अक्सर देखने को मिल रहा है। पिछले 25 वर्षों में स्पेन में हीट वेव नौ बार देखे जा चुके हैं। मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो यूरोप का नाम सुनते ही मेरे जहन में एक तस्वीर उभरती थी- हरियाली से लिपटा कोई शांत देश, जहाँ हल्की धूप, ठंडी हवाएँ और शांति का आभास होता था। वो तस्वीर अब टूट रही है। यूरोप अब गर्म हो रहा है। नहीं, सिर्फ मौसम नहीं बदला- वक़्त की करवट है ये। और इस करवट के नीचे दबी हुई है हमारी लापरवाही, हमारी लालच, और हमारी चुप्पी। अब तो यूरोप का आसमान भी तपने लगा है और वहाँ की जमीनें प्यास से चटकने लगी हैं। 2024 की गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े, और 2025 उसे पीछे छोड़ने को तैयार है।

विशेषज्ञों ने दुनिया को चेताया है कि अगली बार हीटवेव कहीं अधिक जानलेवा हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन यों ही बढ़ता रहा तो यह जानलेवा साबित हो सकती है।

पर सवाल उठता है कि क्या हमें वाकई फर्क पड़ रहा है? ये सिर्फ यूरोप का मामला नहीं है। बहुतों को लगता है कि यूरोप दूर है। वहाँ गर्मी है तो क्या हुआ? हमारे यहाँ तो हर साल लू चलती है। लेकिन इस सोच में ही सबसे बड़ा धोखा छिपा है। यूरोप का जलना, हिमालय की बर्फ को पिघलने का न्यौता है। ग्लेशियर का पिघलना उसी का प्रभाव है। वहाँ की नदियाँ सूखेंगी तो व्यापार और भोजन की कड़ियाँ टूटेंगी। वहाँ की आग अगर बेकाबू हुई तो उसकी राख यहाँ तक पहुँचेगी। कभी यूरोप क्लाइमेट चेंज पर भाषण देता था, अब वो खुद प्रयोगशाला बन गया है। हर जंगल की आग, हर सूखती नदी और हर गर्मी से मरता नागरिक अब ये चिल्लाकर कह रहा है- "हमने देर कर दी है। अब तुम मत करना।"

मुझे एक बात साफ लगती है- ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये व्यवस्था के चरमराने की कहानी है। यूरोप में बिजली की माँग बढ़ी, तो कोयले से चलने वाले प्लांट फिर से चालू हो गए। पानी की किल्लत हुई, तो भूमिगत स्रोत खींचे जाने लगे। मतलब ये कि आग बुझाने के नाम पर हम उसी ईंधन से खेल रहे हैं जिसने ये आग लगाई है। क्या ये विडंबना नहीं है कि जलवायु परिवर्तन से बचने की कोशिशें भी उसी सोच से निकल रही हैं जिसने ये संकट पैदा किया? यूरोपियन यूनियन की ग्रीन डील एक महत्वाकांक्षी दस्तावेज है, लेकिन जमीन पर इसके असर बहुत धीमे हैं। नेट जीरो के लक्ष्य जब तक सिर्फ तारीखों में दर्ज होंगे, तब तक तापमान न कैलेंडर देखेगा, न घोषणाएं। पर्यावरण सम्मेलनों में शब्द बहुत होते हैं, पर इच्छाशक्ति बहुत कम। जब तक जलवायु को लेकर कोई निर्णय लेने से पहले आर्थिक लाभ-हानि का हिसाब लगाया जाएगा, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ सरकारों की नहीं। पूरे समाज की है। सवाल ये नहीं है कि यूरोप गर्म क्यों हो रहा है। सवाल ये है कि क्या हम ठंडे पड़ चुके हैं? हमारी संवेदना ठंडी हो चुकी है। जब ग्रीस में आग लगती है, जब फ्रांस में बुजुर्ग गर्मी से मरते हैं, जब इटली की नदियाँ सूखती हैं- तब हमारे देश की बहसें पेट्रोल के दाम, क्रिकेट की हार-जीत या टीवी शो पर होती हैं। यूरोप की बढ़ती गर्मी एक प्राकृतिक घटना नहीं है। ये एक सामूहिक असफलता है। और अगर हम अभी नहीं जागे, तो आगे सिर्फ तापमान नहीं बढ़ेगा बल्कि उम्मीदें भी बुझ जाएँगी।

बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के दरबार में हाजिर हुए डीएम और एसपी

-अमित राय

जगत प्रवाह. बलिया। श्रावणी मेला के दौरान सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था संधारण तथा आवश्यक तैयारियों के मद्देनजर जिलाधिकारी बलिया, डॉ. विद्या नन्द सिंह एवं पुलिस अधीक्षक बलिया शुभम आर्य के द्वारा संयुक्त रूप से बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर परिसर में तैयारियों एवं पहुंच पथ का निरीक्षण किया गया। साथ ही प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के साथ संयुक्त रूप से ब्रीफिंग कर आवश्यक निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी बहरपुर को बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर परिसर में अवस्थित तालाब में बैरीकेडिंग कराने, नाव-नाविक, गोताखोर की प्रतिनियुक्ति कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही एसडीआरएफ टीम की भी प्रतिनियुक्ति कराने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बहरपुर को मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र का प्रतिदिन नियमित रूप से एवं सोमवार को विशेष रूप से 2-3 पाली में पर्याप्त सफाई कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर साफ सफाई कराने का निर्देश दिया गया। सभी आवश्यक बुनियादी सुविधा श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। श्रावणी मेला के मद्देनजर कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय बहरपुर को नगर निकाय क्षेत्र में विशेष कर मंदिर परिसर के आस-पास क्षेत्रों में सीसीटीवी, शौचालय, सइनेज (पथ प्रवेश द्वार, निकास द्वार) प्रमुख स्थानों पर लगाने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण में पुलिस अधीक्षक बलिया, अनुमंडल पदाधिकारी दुमरांव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दुमरांव, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित अंचल अधिकारी एवं मंदिर समिति के सदस्य उपस्थित थे।

एक दिवसीय सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का सफल आयोजन

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। जिला मुख्यालय, सामुदायिक भवन, पुलिस लाइन, विदिशा में पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में एक दिवसीय सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य जनता की शिकायतें सुनकर उनका त्वरित एवं निष्पक्ष समाधान करना रहा। इस आयोजित शिविर में 30 जून 2025 की स्थिति में लंबित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया गया। शिविर में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 150 आवेदकों की शिकायतें सुनी गईं, जिनमें से 90 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष प्रकरणों पर भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं फरियादियों से चर्चा कर समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्रवासियों को निष्पक्ष और वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे, नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह, सिरोंज एसडीओपी उमेश तिवारी, लटेरी एसडीओपी अमरेश बोहरे, बासौदा एसडीओपी शिखा भल्लावी, कुरवाई एसडीओपी रोशनी सिंह ठाकुर सहित सभी थाना प्रभारी एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से बिक रहीं खाद, बीज और कीटनाशक दवाएं

बद्रीप्रसाद कौरव, संवाददाता

नरसिंहपुर: प्रशासनिक निगरानी के अभाव में दुकानदारों के हौसले दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं, नरसिंहपुर जिला सहित आसपास के क्षेत्रों में कृषि विभाग की लापरवाही के चलते खाद, बीज और कीटनाशक दवाईयों की बिना लाइसेंस वाली दुकानों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कई दुकानदार घटिया व अमानक खाद बीज को कई उच्च गुणवत्ता का बताकर किसानों को बेच रहे हैं। इन बीज को बोने और खाद के प्रयोग के बावजूद जब फसल खराब होती है तो किसान खुद को ठगा महसूस करता है, इसके अलावा दुकानदार खरीद की रसीद भी नही देते, जिससे शिकायत करने पर भी किसानों की सुनवाई नही हो पाती।

मनमाने दाम व रेट लिस्ट गायब

अधिकांश दुकानों में शासन द्वारा निर्धारित दर सूची नही चस्पा नही की गई है, जिसमें किसानों से मनमाने दाम वसूलते हैं। जानकारी के अनुसार पूरे जिले में लाइसेंसधारी दुकानों से अधिक संख्या में अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं। किसानों ने कलेक्टर से मांग की है कि नरसिंहपुर में छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित खाद, बीज और कीटनाशक की दुकानों पर सख्ती से कार्यवाही की जाये।

छत्तीसगढ़

गढ़ रहा उद्योगों की स्थापना के नए अवसर

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

"अब उद्यमी बनने की राह हुई आसान"

सिंगल विंडो सिस्टम 2.0

- **पोर्टल के माध्यम** से 16 से अधिक विभागों की 100 से अधिक सुविधा
- **उद्योगों की स्थापना** में सहयोग, युवाओं को रोजगार के मौके
- **ऑफलाइन मोड में** किसी भी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं
- पोर्टल पर एक बार आवेदन से ही सभी विभागों का **क्लीयरेंस**
- **ई-चालान** के माध्यम से पेमेंट की सुविधा
- **सिंगल क्लिक पर** देखी जा सकती है आवेदन की स्थिति

R.O. No. :13313/1

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जैयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)